



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129051

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-12279 वर्ष 2026

शेषनाथ निषाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: संजय कुमार पाण्डेय

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए., संजीव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र थाना-चिलुआताल, जनपद-गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-138 वर्ष 2026, धारा 103(2), 191(2), 190, 115(2), 352, 61(2), 3(5), बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक, सह-अभियुक्त संदीप निषाद तथा अनेक अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया है। विवेचना के दौरान यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि लगभग बीस व्यक्तियों ने *लाठी एवं डण्डों* से घायल तथा मृतक पर प्रहार किया था, किन्तु आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। आगे यह भी निवेदन किया गया कि अभियोजन का आरोप है कि आवेदक की निशानदेही पर एक बाँस की लाठी बरामद की गई थी। यही आरोप सह-अभियुक्त संदीप निषाद के विरुद्ध भी लगाया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उसके शरीर पर दो चोटें थीं, जो किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित हो सकती थीं, किन्तु अभियोजन द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उक्त चोटें किस व्यक्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा कारित की गई थीं। आगे यह भी निवेदन किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त संदीप निषाद को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-12221 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 17.04.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथ-पत्र में दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 05.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा कारागार में व्यतीत की गई अवधि तथा उसके आपराधिक इतिहास के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित कर दिया है।

6. परिणामस्वरूप, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

7. आवेदक-**शेषनाथ निषाद**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश निर्गत किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का अधियाचन प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। इस शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के बिना वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में नियत तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 / दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसे आचरण को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई उपर्युक्त टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 24 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।